भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 878
29 नवंबर, 2024 को उत्तर के लिए

सीमा सड़क संगठन द्वारा जम्मू-पुंछ राजमार्ग का निर्माण कार्य

878. श्री मियां अल्ताफ अहमद:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामरिक दृष्टि से अवस्थित 220 किमी लंबे जम्मू-पुंछ राजमार्ग का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह तथ्य नहीं है कि जम्मू-पुंछ राजमार्ग के निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण राजौरी और पुंछ के पहाड़ी जिलों की आम जनता बुरी तरह प्रभावित हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) से (ग): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एनएच-144ए के अखनूर-पुंछ हाइवे की 168 कि.मी. लम्बाई को 2-लेन पेव्ड शोल्डर संरचना में विकसित करने का कार्य शुरू किया है, जिसमें चार सुरंगें (लगभग 4.85 कि.मी. लम्बाई) शामिल है, जो आठ निर्माण पैकेजों में बांटी गई हैं । सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) इस परियोजना की कार्य-निष्पादक एजेंसी है। अब तक लगभग 83 कि.मी. लंबी सड़क का निर्माण किया जा चुका है। इन कार्यों को वर्ष 2025 और 2027 के बीच चरणबद्ध रूप से पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) ने चार निर्माण पैकेजों में जम्मू और अखनूर के बीच एनएच-144ए के 30 कि.मी. लंबी सड़क का

विकास कार्य शुरू किया है। अब तक 5.2 कि.मी. लंबाई का कार्य का कार्य पूरा हो गया है। शेष तीन पैकेजों का कार्य मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

बीआरओ और एनएचआईडीसीएल दोनों ही राजौरी और पुंछ जिलों की आम जनता के साथ-साथ वाहनों और यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए राजमार्ग को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करते हैं।

(घ) और (ड): परियोजना को बिना किसी अतिरिक्त विलंब के लागू करने के लिए बीआरओ द्वारा किए गए उपायों में लंबित मुद्दों पर संघ राज्य क्षेत्र(यूटी) के संबंधित विभागों और प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा गहन समन्वय करना शामिल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटी एण्ड एच) भी संघ राज्य क्षेत्र सरकार सहित सभी हितधारकों के साथ इन परियोजनाओं (जैसे भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, कानून एवं व्यवस्था संबंधी मुद्दे, यूटिलिटी शिफ्टिंग, विभिन्न मंजूरियाँ तथा संविदा गत मुद्दे) को पूरा करने को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों की गहन निगरानी करता है। इन मुद्दों की जटिलताओं के आधार पर अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के साथ स्थानीय/जिला/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर नियमित रूप से बैठकों का आयोजन किया जाता है।

*****